न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 53/21

भागीरथ पुत्र श्री फतु जाति सुथार निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।
–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधी भू धारक
–उतरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलांट अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20.04.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 09.06.2006, जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ खसरा न. 496/7 में 6.325 है0 टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफेरी सीमा क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 अपीलांट को बिना सुने, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 46 वर्ष पुरानें आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट राजस्थान उपनिवेषन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन 01.06.1977 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी जिसका आवंटन सें लेकर संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका के पैराफेरी सीमा की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर अपीलांट का टी.सी. आवंटन खारिज फरमा दिया गया व उक्त रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट को नही दी। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की पैराफेरी सीमा के 2 किलोमीटर से बाहर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार ही नहीं था। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्धति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रफोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व मातहत न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2006 पारित कर अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 46 वर्ष पुरानें आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त आवंटन को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा पैराफेरी सीमा 2 किलोमीटर से बाहर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में आता हो। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपना जैर अपील निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है क्योंकि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। अतः तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पारित उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी पत्रावली में निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को ना तो सुना गया व न ही अपीलांट को विधिवत नोटिस तामील हुआ है। न्यायिक दृष्टांत आर एल डब्ल्यू 2010 पेज न. 174 व आर आर डी 1999 पेज न. 346 पेश कर निवेदन किया कि यदि पक्षकारान को विधीवत नोटिस तामिल नही हुए है तो अपील पेश करने हेतु मियाद अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय की जानकारी की तिथी से मानी जानी चाहिए। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 09.06.2006 खारिज किया जावे व न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2017 पेज न. 445 अनवान रेशीदेवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 06.04.2017 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण सख्या 8376/2006 बअनवान मलुराम पुत्र छपनदास बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रति व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भुमि आवंटन) नियम 1970 पेज न. 133 व आर एल डब्ल्यू 2016 पेज न. 413 व आर एल डब्ल्यू 2010 पेज न. 174 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई काश्त पटटा) शर्त 1955 के अन्तर्गत अस्थाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

काश्त निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को नही है। जबकि शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को प्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय खारिज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। जैर प्रकरण भूमि नगरपालिका सीमा के पेराफैरी क्षेत्र में आने व मास्टर प्लान में आ गयी है। उक्त रकबा की खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। टी.सी. आवंटन के खारिज के बाद नवीनीकरण का पट्टा नही है। नवीनीकरण आदेश होने के बाद ही रकम जमा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा इसका रेस्पोडेंट ने ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखि आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 09.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि अपीलांट का उकत टी.सी. आवंटन संवत् 2061 तक नवीनीकृत है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि विवादित भूमि अपीलांटस को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02. 2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अुनसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को है। न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2017 पेज न. 445 में पारित निर्णय भी रोही सूरतगढ़ से संबंधित है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह माना है कि टी. सी. आवंटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पटटा) शर्त 1955 के तहत वे स्थितियां दी गई है जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्ही नियमों के तहत नियम (V) के आगे अंकित किया गया है कि "तो कलक्टर पटटे को कभी भी समाप्त कर सकेगा और इसके पश्चात ऐसी भूमि पर पुनः प्रवेश करेगा"। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई काश्त खारिज करने की शक्तियां कलक्टर में निहित है ना कि तहसीलदार में। प्रकरण के निर्णय में स्पष्ट है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पूर्व में प्रिण्टेड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए आक्षेपित आदेश के तहत अस्थाई काश्त आवंटन को खारिज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही की है, जो न्यायोचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है, निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अरारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़